न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 48/2024 तारीख रजू 17.05.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
.....आवेदक

बनाम

1. विष्णु साहू पुत्र श्री विमल साहू (विक्रेता) मैसर्स– श्री राम भोजनालय अनाज मंडी के पास, लिंक रोड़, आलनपुर, सवाई माधोपुर निवासी मनिहारी मोहल्ला, शहर, सवाई माधोपुर।
2. विमल साहू पुत्र श्री मोती लाल साहू (प्रोपराईटर) मैसर्स– श्री राम भोजनालय अनाज मंडी के पास, लिंक रोड़, आलनपुर, सवाई माधोपुर निवासी मनिहारी मोहल्ला, शहर, सवाई माधोपुर।

..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii), 2(v)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 26.06.2024**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन के निलम्बन हो जाने के कारण उक्त प्रकरण में अनुसंधान कर न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह को अधिकृत कर मूल पत्रावली मय पत्रांक 1238 दिनांक 18.12.2023 सुपुर्द की गई। अभिहित अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु एवं प्रकरण में समय अवधि विस्तारित हेतु आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण) से अनुमति प्राप्त करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन दिनांक 18.06.2021 को सांय 01.00 पी.एम. पर मैसर्स श्रीराम भोजनालय, अनाज मंडी के पास, लिंक रोड, आलनपुर, सवाई माधोपुर पर पहुंचे। वहां पर श्री विष्णु साहू पुत्र श्री विमल साहू उपस्थित मिले जिन्हें अपना परिच देकर परिचय पत्र दिखाया। श्री विष्णु साहू ने स्वयं को फर्म का विक्रेता एंव विमल साहू को प्रोपराईटर होना बताया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने विष्णु साहू से वर्ष 2021 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने खाद्य पदार्थ विक्रय रजिस्ट्रेशन पत्र दिखाया एवं स्वयं के पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड की छाया प्रति मौके पर प्रस्तुत की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन द्वारा मैसर्स श्रीराम भोजनालय, अनाज मंडी के पास, लिंक रोड, आलनपुर सवाई माधोपुर का निरीक्षण करने पर एक फ्रीज में लगभग 3 किलोग्राम पनीर (लूज) सब्जी तैयार कर आम जनता को परोसे जाने वाली विक्रय हेतु पनीर (लूज) रखा हुआ था। इनमें गुणवत्ता में कमी होने का अनदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 1 किलोग्राम पनीर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

(लूज) खरीदकर उसकी कीमत 300/– रूपये विक्रेता विष्णु साहू को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री राजेश कुम्हार के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विष्णु साहू ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता विष्णु साहू को देकर रसीद प्राप्त की। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने खरीदशुदा 01 किलोग्राम पनीर (लूज) को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा पनीर (लूज) को प्रत्यके बोतल में बराबर–बराबर डालकर 20–20 बूंदे फार्मेलीन डाली गई एवं बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-2064** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-2064 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की सात प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/1409 दिनांक 05.07.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/706/एक्ट/2021/739 दिनांक 28.06.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** पनीर (लूज) Unsafe food under section 3(1)(zz)(iv) and 3(1)(zz)(xi) of Food Safety and Standards Act, 2006 as the milk fat is sub-stituted by any inferior and cheaper sub-stance and Sub-Standard (Food Products Standards and Food Additives)

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Regulations, 2011 होना पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 46(4) की उपधारा 2.4.6(1) के तहत नमूने की जांच से असंतुष्ट होते हुए नियमानुसार नियत अवधि में तत्कालीन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के समक्ष निर्धारित प्रपत्र 8 में नमूने की पुनः जांच हेतु आवेदन कर अपील की जिस अपील को स्वीकार करते हुए तत्कालीन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) द्वारा लिये गये नमूने द्वितीय भाग को वास्ते जांच हेतु रेफरल लेब में भिजवाया गया एवं प्राप्त हुई रेफरल लेब मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या FT/AQCL/FSSA(953F)/2021 एवं सर्टिफिकेट नं0 953F/FSSA/2021 दिनांक 15.11.2021 के अनुसार खाद्य नमूना पनीर (लूज) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड पनीर (लूज) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है। अन्त में अभियुक्त को सख्त से सख्त सजा एवं जुर्माना फर्माने का निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित हुये। अभियुक्त ने प्रकरण में बिना जवाब पेश किये सीधे बहस सुनकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड पनीर (लूज) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त पर अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की भोजनशाला से पनीर (लूज) का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त अपराध अनजाने में कारित हुआ है। अन्त में अभियुक्त द्वारा प्रकरण में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि रेफरल लेब मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या FT/AQCL/FSSA(953F)/2021 एवं सर्टिफिकेट नं0 953F/FSSA/2021 दिनांक 15.11.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ पनीर (लूज)** सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का होना पाया गया है।.अभियुक्तगण द्वारा बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए प्रकरण में न्यूनतम शास्ति लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** घी (लूज) का विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण पर 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **26.06.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर